

03 SEP 2012

ज्ञापांक-ब17/बी0एस0जी0-509/2012- (वि0) - 924

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक  
बिहार, पटना

समेश्वर सिंह,  
प्रधान सचिव

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग  
बिहार, पटना  
क्रमा/गै. प्र. सं. 2474/जा. प्र.  
नांक. 4.9.12

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी,  
बिहार, पटना ।

30.8.  
पटना, दिनांक: . . . 2012

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजे जाने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश ।

आप अवगत हैं कि विभाग की निर्धारित माँग में व्यय की राशि एवं विभाग से संबंधित प्राप्ति की राशि दोनों के प्रावधान के लिए बजट प्राक्कलन नियंत्री पदाधिकारी को ससमय देना अपेक्षित है ।

बजट प्रावधान उपशीर्ष के अधीन विषय शीर्ष में कर्णांकित किया जाता है। बजट मैनुअल के अनुसार बजट में प्रावधान स्वीकृत योजनाओं के लिए ही किया जाना है न कि ऐसी योजनाओं के लिए, जिसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई है। सरकार को व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरतनी है और अपना व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दी गई सीमाओं के अन्तर्गत रखना है, अतएव प्रस्तावित बजट प्राक्कलन प्रेषित करने के पूर्व उसकी विभागीय स्तर पर अच्छी तरह से समीक्षा आवश्यक है।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-II) में सूचना देने के अतिरिक्त प्रत्येक उप-शीर्ष के संबंध में दिये गये प्राक्कलन के औचित्य के संबंध में एक आत्मभरित टिप्पणी निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए दें:-

(क) विभाग के कार्य अथवा योजना के उद्देश्य।

(ख) वर्तमान परिस्थिति में प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य।

(ग) विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 तक किये गये कार्य, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य, तथा 2013-14 के प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

